7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/आर०–255/2026– /स्वा० पटना, दिनांक / /2026

डा0 सुबोध कुमार सुमन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मनिहारी, कटिहार के दिनांक–30.11.2022 से 28.12.2025 तक अध्ययन अवधि एवं पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

(i)	दिनांक–30.11.2022 से 29.11.2025 तक	–	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्रांक–2045(2) दिनांक–30.11.2011)।
(ii)	दिनांक–30.11.2025 से 02.12.2025 तक	–	असाधारण अवकाश के रुप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–236)।
(iii)	दिनांक–03.12.2025 से 26.12.2025 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।
(iv)	दिनांक–27.12.2025 को	–	राजपत्रित अवकाश के रुप में।
(v)	दिनांक–28.12.2025 को	–	रविवारीय अवकाश के रुप में।

2 प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आर–255/2026– 2655(2) **/स्वा०, पटना, दिनांक** 6/11/**/2026**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, मनिहारी, कटिहार/जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/डा0 सुबोध कुमार सुमन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मनिहारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।